हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तारीख में जारी हुए
	[illegible] के कारण आज दिनांक 20.11.2017 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 23/4/18 को की जावेगी।	
23/4/18	वकील के किसी की उपस्थिति प्रमाणित करने के कारण सुनवाई निमित्त दिनांक 13/4/18 को [illegible]	उपखण्ड अधिकारी करौली
13/4/18	[illegible] उपस्थित नहीं होने के कारण आज दिनांक 13/4/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 21/6/18 को की जावेगी।	
26/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। तहसीलदार करौली से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। डिक्री की पालना की जा चुकी है। इसराय में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 26/5/18 पैनल सदस्य (V.C. [illegible]) 26-5-18 पैनल सदस्य (हेमराज [illegible])	उपखण्ड अधिकारी करौली